न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट चौहटन

पीठासीन अधिकारी--श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 354/2011

प्रार्थीगण	बनाम्	**अप्रार्थीगण**
1.भीमसिंह पुत्र भुरसिंह 2.सतीदानसिंह पुत्र चिमनसिंह 3.मेहताबसिंह पुत्र रायसिंह 4.चन्दनसिंह पुत्र रायसिंह के कायम मुकाम– 4/1.ताजकंवर पत्नि चन्दनसिंह 5.नरपतसिंह पुत्र भुरसिंह 6.चतरसिंह पुत्र भुरसिंह 7.हड़मतसिंह पुत्र रायसिंह 8.थानसिंह पुत्र रायसिंह 9.कमलसिंह पुत्र भुरसिंह 10.देरावरसिंह पुत्र महासिंह 11.नाथुसिंह पुत्र आम्बसिंह 12.तख्तसिंह पुत्र भुरसिंह के कायम मुकाम– 12/1.स्वरूपसिंह पुत्र तख्तसिंह 12/2.जनकसिंह पुत्र तख्तसिंह 12/3.जगतसिंह पुत्र तख्तसिंह 12/4.कमलसिंह पुत्र भूरसिंह 13.तखतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 14.इन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 15.कमलसिंह पुत्र सतीदानसिंह 16.जेतमालसिंह पुत्र सतीदानसिंह 17.प्रतापसिंह पुत्र जवारसिंह के कायम मुकाम– 17/1.जगमालसिंह पुत्र प्रतापसिंह 18.महासिंह पुत्र चिमनसिंह के कायम मुकाम– 18/1.देरावरसिंह पुत्र महासिंह 18/2.खुमाणसिंह पुत्र महासिंह 18/3.जामकंवर पत्नि महासिंह 19.थानसिंह पुत्र चिमनसिंह के कायम मुकाम– 19/1.मीरकंवर पत्नि थानसिंह 20.पाबुदानसिंह पुत्र गेमरसिंह 21.प्रेमसिंह पुत्र मगरसिंह 22.धनसिंह पुत्र मगरसिंह		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,चौहटन 2.रामसिंह पुत्र बिजराजसिंह 3.दीपसिंह पुत्र बिजराजसिंह के कायम मुकाम– 3/1.उगमकंवर पत्नि दीपसिंह 3/2.दरिया कंवर पुत्री दीपसिंह 3/3.कमलसिंह पुत्र दीपसिंह 3/4.मोहनसिंह पुत्र दीपसिंह 3/5.मदनसिंह पुत्र दीपसिंह 3/6.जनकसिंह पुत्र दीपसिंह 3/7.कलसिंह पुत्र दीपसिंह 4.भाणकंवर पत्नि बिजराजसिंह जति राजपूत निवासी सुकालिया (बीजराज)तहसील चौहटन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

23.महेशसिंह पुत्र आम्बसिंह 24.महेशसिंह पुत्र चिमनसिंह कौम राजपूत निवासी सुकालिया (बीजराड)तहसील,चौहटन		

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन),नियम 1970

उपस्थितः–1. प्रार्थी सं.5,8,9,12/4,18/2 उपस्थित। दीगर प्रार्थी एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार,चौहटन उपस्थित।
3 अप्रार्थी संख्या 03/3 मय अधिवक्ता श्री भवानीशंकर उपस्थित। दीगर अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 03.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी 02 से 03 के पिता एंव 04 के पति बिजराजसिंह पुत्र दानसिंह को अपर कलक्टर,बाड़मेर द्वारा ग्राम सुकालिया(बीजराड) के खसरा नम्बर 706 रकबा 40 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 16.11.1978 को किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि आवंटित सुदा भूमि पर प्रार्थीगण का रहवास है और बिजराजसिंह द्वारा धोखो से अपने अकेले के नाम से भूमि आवंटन करायी है, जो गलत हैं। इसलिये अप्रार्थी बिजराजसिंह को ग्राम सुकालिया में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाए।
2. इस पर हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी संख्या 05,.08,09,12/4,18/2 उपस्थित रहे। दीगर प्रार्थीगण एंव अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार चौहटन उपस्थित रहे। अप्रार्थीगण 03/3 मय अधिवक्ता उपस्थित रहे दीगर अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।
4. हमने उभय पक्ष को सुना। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एंव न्याय दृष्टांत आरआरटी 2007 पेज 18,आरआरटी 2007 पेज 1443,आरआरटी 2006 पेज 1430 एंव आरआरटी 2012 पेज 756 पेश किये। पत्रावली, उस पर उपलब्ध दस्तोवज,लिखित बहस एंव न्याय दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी पर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

यह आरोप लगाया है कि अप्रार्थी बिजराजसिंह ने धोखे से कूट रचना कर अपने अकेले के नाम से 1978 में ग्राम सुकालिया में भूमि आवंटन कराया है। आवंटन के रोज प्रार्थीगण के मकान बने हए थे और उसमें प्राथीगण मय परिवार रहवास था। इस प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि वादग्रस्त भूमि उनके स्वामित्व एंव कब्जे की भूमि है, मगर वादग्रस्त भूमि पर कब्जे एंव स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि वे वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा व रहवास हो। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा वाद संख्या 114/11 में पारित निर्णय दिनांक 20.7.11 एंव राजस्व अपील अधिकारी,बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 69/12 में पारित निर्णय दिनांक 29.8.12 के अवलोकन से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वाद/अपील भी हो चुकी है जो खारिज हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश के अवलोकन से राज्य सरकार के राजस्व विभाग(ग्रुप'4)विभाग राज0.जपुर के पत्र कंमाक 6(31)रेवेन्यू/ग्रुप'4/78 दिनाक 17 जून,1978 के द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में शरणार्थी परिवारों को राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 17 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 02 से 03 के पिता एंव 04 के पति बिजराजसिंह पुत्र दानसिंह निवासी सुकालिया(बीजराड) को ग्राम सुकालिया के खसरा नम्बर 706 रकबा 40 भूमि आवंटन हुई है। आवंटन के बाद अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र में यह नहीं बताया है कि अप्रार्थी ने किस आवंटन शर्त की पालना नहीं की हैं। 1995 आरबीजे-2 पेज 780 पर उद्धत पूर्व निर्णय पतराम बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे यह व्यवस्था दी गई है कि आवंटियों को खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुकने के पश्चात् 1970 के नियम प्रभावी नहीं रहते है अतः 1970 के नियमो के नियम 14(4)के अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यवाही की जा सकती है खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के बाद आवंटी वे सभी अधिकार हासिल कर लेता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् नियम 14(4)1970 के नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रकार अप्रार्थी बिजराजसिंह को ग्राम सुकालिया(बीजराज) में धोखे एंव कूट रचना कर भूमि आवंटन कराने का आरोप प्रार्थीगण साबित नहीं करा सका है। नियम 14(4) के अन्तर्गत तथ्यों को छिपाते हुए,कपट या दुर्व्यप्रर्दशन के द्वारा आवंटन किया गया हो अथवा आवंटन शर्त की पालना नहीं की हो तो

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उसे रद्द किया जा सकता है। प्रार्थीगण वर्तमान मामले में इस प्रकार के गलत आवंटन को साबित कराने में असमर्थ रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने के कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थीगण का आवदेन पत्र खारिज किया जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर